हरियाणा राज्य और अन्य

बनाम

राम कुमार मान

20 फरवरी, 1997

[के. रामास्वामी और एस. सागर अहमद न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

त्याग पत्र- की वापसी- प्रतिवादी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सेवा से इस्तीफा दिया- त्यागपत्र स्वीकृत-चुनाव में हार के बाद प्रतिवादी ने इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन दिया-अनुरोध अस्वीकृत किया गया-रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों के साथ पुनर्बहाली किया जाए जैसा कि इसी तरह के मामलों में राज्य ने पहले तीन कर्मचारियों को अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी थी-आयोजत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश देकर गलती की

भारत का संविधान, 1950

अनुच्छेद 14- भेदभाव का सिद्धांत- आयोजित, एक लागू करने योग्य अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है-अनुच्छेद 14 केवल तभी लागू होगा जब बराबरी के लोगों के साथ द्वेषपूर्ण भेदभाव किया जाता है और ऐसी ही परिस्थिति में बिना किसी तर्कसंगत आधार या संबंध के किया जाता है-सरकार का एक गलत निर्णय गलत आदेश लागू करने और समता या समानता का दावा करने का अधिकार नही देता है-प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है और उसे अन्य कर्मचारियों को गलत तरीके से दी गई राहत नही दी जा सकती

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 1985 का सिविल अपील सं.- 27

1984 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1154 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.08.1984 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए प्रेम मल्होत्रा और जसबिर मलिक।

उत्तरदाता के लिए सुश्री उर्मिला सिरूर

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है, जो सी. डब्ल्यू. पी. सं.- 1154/84 में 10.8.1984 को दिया गया था।

स्वीकृत तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता ने स्वास्थ्य विभाग में स्मालपॉक्स सुपरवाईजर के रुप में काम करते हुए 32 अप्रैल, 1982 को इस्तीफा दे दिया था राज्य विधानसभा सदस्य के रुप में चुनाव लड़ने के लिए उनका त्यागपत्र 18 मई, 1982 को स्वीकृत हुआ था, उन्होने चुनाव लड़ा मगर हार गए। तत्पश्चात उन्होने मई 21, 1982 को त्यागपत्र वापिस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया। वह खारिज कर दिया गया। फलस्वरुप, उत्तरदाता ने उक्त रिट याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि तीन समान स्थिति वाले व्यक्ति, अर्थात गुरबजन सिंह, दरयावो सिंह तथा श्रीमती सुमित्रा देवी को त्याग पत्र वापिस लेने की अनुमति दी गई थी और उनके द्वारा धारित संबंधित पद पर नियुक्त किया गया था, प्रतिवादी को समान लाभ देने में विफलता अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अतः इसने अपीलकर्ता को परिणामी लाभों के साथ उन्हे सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

इसलिए, सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून की दृष्टिकोण से सही है? यह देखा जाता है कि प्रतिवादी ने स्वेच्छा से सेवा से इस्तीफा दे दिया था और 18 मई, 1982 को सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। उस तारीख से और आगे, नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध, उत्तरदाता तथा राज्य के बीच समाप्त हो गया तथा तत्पश्चात उसका कोई अधिकार नही रहा, चाहे कोई भी कारण हो, पद पर दावा करने का या त्यागपत्र को वापस लेने का अधिकार जो पहले ही 18 मई, 1982 को स्वीकृति द्वारा प्रभावी हो चुका है। हो सकता है कि सरकार ने अपने कारणों से ऐसे ही मामले में पहले बताए गए कुछ कर्मचारियों को अपना इस्तीफा वापस लेने की इजाजत दे दी हो और उन्हे नियुक्त कर दिया हो, भेदभाव का सिद्धांत एक प्रवर्तनीय अधिकार के अस्तित्व पर पाया जाता है। उनके साथ भेद भाव किया गया था और समानता से वंचित किया गया था क्योकि कुछ समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान राहत दी गई थी। अनुच्छेद 14 तभी लागू होगा जब बराबरी के लोगों के साथ द्वेषपूर्ण भेदभाव किया जाता है और ऐसी ही परिस्थिति में बिना किसी तर्कसंगत आधार या संबंध के किया जाता है। उत्तरदाता को कोई अधिकार नही है जो भी हो तथा उन्हे गलत तरीके से दी गई राहत नही दी जा सकती है, अर्थात इस्तीफा वापस लेने का लाभ। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष में पहुँचने में पूरी तरह से गलत था कि इसमें द्वेषपू भेदभाव था। यदि हम गलत काम करने की अनुमति नही दे सकते है, तो किसी कर्मचारी को पैसे का दुरुपयोग करने के बाद सेवा से बर्खास्त किया जाता है और बाद में वह आदेश वापस ले लिया जाता है और इसे सेवा में बहाल कर दिया जाता है। क्या एक समान परिस्थिति वाला व्यक्ति अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत पुनर्बहाली में समानता का दावा कर सकता है? उत्तर स्पष्टतः नही है एक विपरीत मामले में, पहली बार में, कोई गलत हो सकता है, लेकिन गलत आदेश उसी आदेश को लागू करने के लिए समानता का दावा करने का आधार नही हो सकता है जैसा कि पहले कहा गया है, उसका अधिकार प्रवर्तनीय अधिकार पर आधारित होना चाहिए ताकि उसे प्रवर्तन के

लिए समानता का व्यवहार मिले। सरकार का एक गलत निर्णय गलत आदेश लागू करने और समता या समानता का दावा करने का अधिकार नही देता है। दो गलतियाँ कभी भी एक सही नही बन सकती। इन परिस्थितियों में, सभी परिणामी लाभों के साथ परमादेश द्वारा प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश देने में उच्च न्यायालय स्पष्ट रुप से गलत था।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है लेकिन परिस्थितियों में बिना लागत के।

आर.पी अपील की अनुमति दी गई।

उपेंद्र नारायण सिंह